



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-१, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, १७ नवम्बर, २०१५ ई०

कार्तिक २६, १९३७ शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या ३३४/XXXVI(३)/२०१५/५७(१)/२०१५

देहरादून, १७ नवम्बर, २०१५

### अधिसूचना

#### विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद २०० के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड उपकर विधेयक २०१५’ पर दिनांक ०९ नवम्बर, २०१५ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या २३ वर्ष, २०१५ के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015

(अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2015)

राज्य व्याधि निधि एवं अन्य उपादान के उद्देश्य से वहाँ के आकस्मिक प्रयोजनार्थ प्रदान करने के लिए;

## अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार  
एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 है।
- (2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।
- (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इसके भिन्न-भिन्न प्राविधानों के लिए भिन्न-भिन्न तिथि नियत की जा सकती हैं।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "उपकर" से इस अधिनियम के उद्देश्यों की परिपूर्ति हेतु उद्ग्रहित किए जाने वाला प्रभार अभिप्रेत है;
- (ख) "कमिश्नर" से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित "कमिश्नर" अभिप्रेत है;
- (ग) "ब्यूहारी" से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित "ब्यूहारी" अभिप्रेत है;
- (घ) "माल" से उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित "माल" अभिप्रेत है;
- (ङ) "विज्ञप्ति" से उत्तराखण्ड राज्य के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने वाली "विज्ञप्ति" अभिप्रेत है;
- (च) "व्यक्ति" से उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित "व्यक्ति" अभिप्रेत है;
- (छ) "विहित" से इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा "विहित" अभिप्रेत है;
- (झ) "नियम" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए "नियम" अभिप्रेत है;
- (ञ) "विक्रय" से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित "विक्रय" अभिप्रेत है;
- (ट) "विक्रय कीमत" से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित "विक्रय कीमत" अभिप्रेत है;
- (ठ) "अनुसूची" से इस अधिनियम के अन्तर्गत संलग्न "अनुसूची" अभिप्रेत है;
- (ड) "यान" से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित "यान" अभिप्रेत है;

## भाग I

### सड़क अवसंरचना के विकास हेतु उपकर

उपकर का  
उद्ग्रहण एवं  
संग्रहण

3. (1) इस अधिनियम के अधीन उपकर उद्ग्रहित किया जाएगा:—

(क) सड़क अवसंरचना के विकास के उद्देश्य के लिए, राज्य के भीतर, इस अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय या क्रय पर ऐसी तिथि तथा ऐसे बिन्दु तथा ऐसी दर से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, परन्तु ऐसी दर ऐसे माल के विक्रय या क्रय कीमत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, इस शर्त के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि अनुसूची-I में निर्दिष्ट किया गया हो;

(ख) राज्य व्याधि निधि के उद्देश्य के लिए, राज्य के भीतर, इस अधिनियम की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय या क्रय पर ऐसी तिथि तथा ऐसे बिन्दु तथा ऐसी दर से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, परन्तु ऐसी दर ऐसे माल के विक्रय या क्रय कीमत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, इस शर्त के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि अनुसूची-II में निर्दिष्ट किया गया हो;

(ग) पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य के लिए, राज्य के भीतर, इस अधिनियम की अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट माल को सड़क मार्ग द्वारा पारेषित करने पर ऐसी तिथि तथा ऐसे बिन्दु तथा ऐसी दर से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्रों में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, परन्तु ऐसी दर ऐसी वस्तुओं की विक्रय या क्रय कीमत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, इस शर्त के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि अनुसूची-III में निर्दिष्ट किया गया हो।

(2) प्रत्येक ब्यौहारी या व्यक्ति जो अनुसूची-I या अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय करता हो और जो उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत हो अथवा पंजीकरण हेतु दायी हो, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित की जाए, उपकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(3) अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट किसी यान का स्वामी या संचालन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे माल को सड़क मार्ग द्वारा लाने की इच्छा करता है, ऐसे माल के संचालन के पूर्व, कथित उपकर का भुगतान करेगा अथवा ऐसे उपकर की वसूली ऐसे व्यक्ति एवं ऐसी रीति से सुनिश्चित करेगा जैसा कि विहित की जाए;

(क) विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता के माध्यम से उपकर की वसूली: इस अधिनियम में किसी अन्य बात के होते हुए कोई व्यक्ति जो अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट माल को राज्य के भीतर से किसी विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता द्वारा राज्य के बाहर ले जाने की इच्छा करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल के पारेषण पर देय उपकर का भुगतान ऐसे आपूर्तिकर्ता को करेगा और विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता द्वारा इस प्रकार भुगतान किया गया उपकर प्राप्त किया जायेगा। विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता पारेषक को ऐसे माल का परिदान, ऐसे उपकर की राशि पारेषक द्वारा विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता को भुगतान कर दिये जाने के बाद, करने के लिये बाध्य होगा। विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता, इस प्रकार प्राप्त उपकर, ऐसी रीति के अनुसार और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाये, जमा करेगा।

(ख) जहां कोई विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता उपकर की वसूली करने में असफल रहता है या इस धारा के अन्तर्गत ऐसे उपकर को जमा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे उपकर को ब्याज तथा उपकर के दुगुने से अनधिक अर्थदण्ड के साथ जमा करने के लिये दायी होगा, जो कि मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(4) इस अधिनियम की विभिन्न अनुसूचियों के अधीन संग्रहीत उपकर की प्राप्तियां विशेष रूप से सृजित निधियों में निम्न प्रकार प्रयुक्त की जायेगी:-

(i) अनुसूची I के अन्तर्गत संग्रहीत उपकर सड़क अवसंरचना तथा सड़क सुरक्षा उपाय के लिये सृजित निधि हेतु प्रयुक्त किया जायेगा;

(ii) अनुसूची II के अन्तर्गत संग्रहीत उपकर राज्य व्याधि के लिये सृजित निधि हेतु प्रयुक्त किया जायेगा;

(iii) अनुसूची III के अन्तर्गत संग्रहीत उपकर पर्यावरण संरक्षण कोष के लिये विशेष रूप से सृजित निधि हेतु प्रयुक्त किया जायेगा।

उपकर या शुल्क की प्राप्तियों का विशेष रूप से सृजित निधियों हेतु प्रत्यय

4. (1) उपकर या शुल्क की प्राप्तियां विशेष रूप से सृजित निधियों हेतु क्रमशः उस प्रकार प्रयुक्त की जायेगी जैसा कि पूर्ववर्ती प्रावधानों में वर्णित है;
- (2) उपरोक्त निधियों के प्रत्यय में धनराशि का निर्धारण राज्य सरकार के विवेक से किया जाएगा और यह उस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की जाएगी जिसके लिए यह उद्ग्रहित तथा वसूल की गयी है;
- (3) यदि कोई प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग किया गया है, वह उद्देश्य धारा 3 या धारा 4 या धारा 5 के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं तो ऐसी दशा में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक माना जाएगा;
- (4) उपकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उपकर की देय धनराशि को ऐसी रीति से जमा करेगा जैसा कि विहित किया जाएगा।

विभिन्न अधिनियमों का यथोचित परिवर्तन सहित लागू किया जाना

5. (1) इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन वर्तमान के लिए उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण, संग्रहण तथा किसी कर का भुगतान प्रवर्तित करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी, कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण, संग्रहण तथा उपकर का भुगतान जिसमें ब्यौहारी या व्यक्ति द्वारा देय ब्याज या भुगतान सम्मिलित है, को प्रवर्तित करने के लिए अधिकृत होगा, मानो जैसे कि ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत देय उपकर या अर्थदण्ड या ब्याज उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत देय उपकर या अर्थदण्ड या ब्याज होगा और इस उद्देश्य के लिए वे उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसी विधि के प्रावधान जिसमें विवरणी, अस्थाई कर निर्धारण, कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण, संशोधन, पुनर्विलोकन, अग्रिम कर का भुगतान, पंजीकरण, कर का आरोपण, कर देयता, तीसरे पक्ष से कर की वसूली, अपील, पुनरीक्षण, उद्ग्रहण, वापसी, छूट, ब्याज या अर्थदण्ड, ब्याज का प्रभार या भुगतान, अपराधों का समाधान सम्मिलित हैं, यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे;

(2) टिम्बर के संचलन के सम्बन्ध में जारी किए जाने वाले अभिवहन पारपत्र से सम्बन्धित वन नियमावली के प्रावधान इस अधिनियम के भाग समझे जाएंगे और संचलन से पूर्व टिम्बर सहित अभिवहन पारपत्र की आवश्यकता इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु अनिवार्य आवश्यकता समझी जाएगी।

कमिश्नर की शक्तियाँ

6. (1) कमिश्नर की सम्पूर्ण राज्य में अधिकारिता होगी और वह अधिनियम अथवा इन नियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग तथा अधिरोपित सभी कर्तव्यों का पालन करेगा;
- (2) ऐसे सभी अधिकारियों तथा व्यक्तियों, जिनको अधिनियम और इन नियमों के निष्पादन के लिए नियोजित किया गया है, पर अधिनियम तथा इन नियमों के उपबन्धों से संगत कमिश्नर का अधीक्षण रहेगा तथा कमिश्नर समय-समय पर ऐसे आदेश, अनुदेश और निदेश, जैसा वह उचित समझे, जारी कर सकता है, जो अधिनियम के प्रशासन और अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करे;
- परन्तु ऐसे अनुदेश या आदेश नहीं दिए जाएंगे जो अपीलीय प्राधिकारी के अपीलीय कृत्यों का प्रयोग करने के विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करते हों;
- (3) कमिश्नर को ऐसी समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो अपील प्राधिकारियों से भिन्न उसके अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा प्रयोक्ताव्य हो;
- (4) ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, कमिश्नर लिखित आदेश द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत अपनी शक्तियों में से अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

लेखों का निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण

7. उपकर के परिहार या अपवंचन अथवा कर के परिहार या अपवंचन के प्रयास को रोकने या नियंत्रित करने के उद्देश्य से लेखों का निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण के विषय में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अध्याय-VI के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

बिक्री बीजक

8. माल के विक्रय या क्रय की दशा में प्रभारित उपकर की धनराशि अलग-अलग दर्शाई जाएगी। बिक्री बीजक से सम्बन्धित उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-60 के अन्य प्राविधान यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँ

9. इस अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है, तथापि जहाँ किसी विषय में इस प्रकार के नियम नहीं बनाए गए हैं, वहाँ उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी।

हानि-रक्षा

10. कोई नालिश, अभियोग अथवा कोई कानूनी कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसे काम के सम्बन्ध में नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन अथवा तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भाव से किया गया हो अथवा किए जाने के लिए आशयित हो।

कठिनाईयों का निवारण करने की शक्ति

11. जहाँ इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कठिनाई उठती है तो राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान जो इस अधिनियम से असंगत न हो व जो कठिनाईयों के निवारण के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों, बना सकती है।

अन्य कानूनों पर  
अधिभावी प्रभाव

12. इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्यथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्राविधान अथवा तदधीन बनाए गए नियम या विनियम या उपविधि, किसी अन्य बात के होते हुए, राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित एवं वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में लागू अन्य विधि में निहित, जो इसके सिवाय इस अधिनियम से असंगत न हो, प्रभावी होंगे।

सिविल न्यायालय  
के अधिकार क्षेत्र  
पर रोक

13. इस अधिनियम के अधीन अथवा तदधीन बनाए गए नियम या विनियम के अन्तर्गत पारित किए गए किसी आदेश या किए गए किसी कार्य के सिवाय जैसा कि अधिनियम में प्राविधानित है, चुनौती नहीं दी जा सकेगी एवं ऐसे विषय में जिसमें प्राधिकारी निर्णय एवं अधिनिर्णय लिए जाने हेतु सशक्त है, के संदर्भ में किसी सिविल न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं होगी।

#### अनुसूची-I

#### माल के विक्रय या क्रय पर उपकर

[उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम 2015 की धारा-3 की उपधारा (1) का खण्ड (क)]

क्र० सं०	माल का विवरण	उपकर का भार	उपकर की दर
1	पेट्रोल	राज्य के बाहर से राज्य के भीतर आयात करने के उपरान्त राज्य में माल की प्रथम बिक्री पर	रुपए एक प्रति लीटर
2	डीज़ल	राज्य के बाहर से राज्य के भीतर आयात करने के उपरान्त राज्य में माल की प्रथम बिक्री पर	पच्चीस पैसा प्रति लीटर

अनुसूची-II

माल के विक्रय या क्रय पर उपकर

[उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम 2015 की धारा-3 की उपधारा (1) का खण्ड (ख)]

क्र० सं०	माल का विवरण	उपकर का भार	उपकर की दर
1	सभी प्रकार की शराब	उपभोक्ता को विक्रय के बिन्दु पर	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
2	खैनी, तम्बाकू सिगरेट, गुटका	विनिर्माता के बिन्दु पर या राज्य के बाहर से आयात किए जाने के उपरान्त राज्य में प्रथम बिक्री के बिन्दु पर	माल के मूल्य का दो प्रतिशत

अनुसूची-III

सड़क मार्ग द्वारा माल के परिवहन पर उपकर

[उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम 2015 की धारा-3 की उपधारा (1) का खण्ड (ग)]

क्र० सं०	माल का विवरण	उपकर का भार	उपकर की दर
1	समस्त प्रजाति के वृक्ष और सभी प्रकार की इमारती लकड़ी तथा काष्ठ चाहे वह उगाई, काटी और चीरी गई हो किन्तु इसमें उनके उत्पाद और जलौनी लकड़ी सम्मिलित नहीं है।	सड़क मार्ग द्वारा राज्य के बाहर परिवहित किए जाने वाले माल पर	रुपए पचास प्रति कुन्तल
2	खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ (फास्ट फूड) पिज्जा आउटलेट्स या फ्राईड चिकन आउटलेट्स द्वारा की गयी बिक्री, प्री पैकड ईटेबल्स, प्री पैकड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और बेवरेजेज जिसमें प्री पैकड लस्सी, बटरमिल्क और दूध सम्मिलित नहीं है।	विनिर्माता के बिन्दु पर या राज्य के बाहर से आयात किए जाने के उपरान्त राज्य में प्रथम बिक्री के बिन्दु पर	माल के मूल्य का पाँच प्रतिशत

आज्ञा से,

जय देव सिंह,  
प्रमुख सचिव।

No. 334/XXXVI(3)/2015/57(1)/2015  
Dated Dehradun, November 17, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'the Uttarakhand Cess Bill, 2015' (Adhiniyam Sankhya 23 of 2015).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 09 November, 2015.

**THE UTTARAKHAND CESS ACT, 2015**

(Act No. 23 of 2015)

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty sixth year of the Republic of India, as follows :-

An

Act

To provide for the purpose of State Disease Fund (Rajya Vyadhi Nidhi) and other matters connected therewith incidental there to;

**Short title, extent and commencement-** 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Cess Act, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

**Definitions**

2. In this Act, unless the context otherwise requires:-

- a) "Cess" means a charge levied for meeting the objectives of this Act;
- b) "Commissioner" means the "Commissioner" as defined in Section 2 of the UK Vat Act, 2005



- c) "Dealer" means "dealer" as defined in Section 2 of the Uttarakhand Value Added Act, 2005.
- d) "Goods" means "goods" as defined in Section 2 of the Uttarakhand Value Added Act, 2005
- e) "Notification" means a notification published in the Official Gazette of the State of Uttarakhand;
- f) "Person" means "person" as defined in Section 2 of the Uttarakhand Value Added Act, 2005.
- g) "Prescribed" means prescribed by the Act or by rules made thereunder;
- h) "Rules" means the rules made by the State Government under this Act;
- i) "Sale" means "sale" as defined in Section 2 of the Uttarakhand Value Added Act, 2005.
- j) "Sale Price" means "sale price" as defined in Section 2 of the Uttarakhand Value Added Act, 2005.
- k) "Schedule" means a schedule appended to this Act;
- l) "Vehicle" means "vehicle" as defined in Section 2 of the Uttarakhand Value Added Act, 2005.

### PART-1

#### CESS FOR DEVELOPMENT OF ROAD INFRASTRUCTURE

**Levy and collection** 3. (1) There shall be levied a cess under this Act;

**of cess**

(a) For the purpose of development of Road Infrastructure, on the sale or purchase of such goods, within the State, as specified in Schedule-I of this Act, with effect from such date and at such point and at such rate, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify, provided that such rate shall not exceed ten percent of the sale or purchase price of such goods, subject to the conditions, if any, as specified in the Schedule-I.

(b) For the purpose of State Disease Fund (Rajya Vyadhi Nidhi), on the sale or purchase of such goods, within the State, as specified in Schedule-II of this Act, with effect from such date and at such point and at such rate, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify, provided that such rate shall not exceed ten percent of the sale or purchase price of such goods, subject to the conditions, if any, as specified in the Schedule-II.

(c) For the purpose of protection of environment, on the goods carried by road, as specified in Schedule-III of this Act, with effect from such date and at such point and at such rate, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify, provided that such rate shall not exceed Rupees Fifty per quintal of such goods, or 10 percent of the sale or purchase price of the goods, as the case may be, subject to the conditions, if any, as specified in the Schedule.

(2) Every dealer or person, who sells the goods specified in Schedule-I or Schedule-II and who is registered or is liable to be registered under the provisions of Uttarakhand VAT Act, 2005, shall be liable to pay cess in a manner and within a time, as may be prescribed.

(3) The owner or person duly authorized by such owner or the driver or person in-charge of the vehicle or of such goods, as specified in Schedule-III, in movement, as the case may be, who carries or intends to carry such goods by road shall, before movement of such goods, pay the said cess or cause such cess to be realized by such person and in such a manner as may be prescribed.

(a) **Realization of tax through seller or supplier:** Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, any person who intends to carry the goods of Schedule-III to a place outside the State from any seller or supplier within the State, shall, at the time of taking delivery of the goods from the supplier, pay to such supplier the Cess payable on carriage of such goods to outside the State and the seller or supplier shall receive the cess so paid. The seller or supplier shall also be bound to give delivery of such goods to the transporter only when the amount of such cess has been paid by the transporter to the seller or supplier. The seller or supplier shall deposit the Cess so received, in such manner and within such time as may be prescribed.

(b) Where any seller or supplier fails to recover the Cess or fails to deposit it under this section, he shall be liable to pay the Cess along with the interest and penalty to the extent of two times of the cess, which shall be recoverable as arrears of land revenue.

(4) The proceeds of the cess collected under different Schedules of this Act, shall be applied to specially created funds as follows:

(i) Cess collected under Schedule-I shall be applied to the Fund created for Development of Road Infrastructure and Road Safety Measures.

(ii) Cess collected under Schedule-II shall be applied to the State Disease Fund (Rajya Vyadhi Nidhi).

(iii) Cess collected under Schedule-III shall be applied to the Specially Created Fund for the Protection of Environment (Paryavaran Sanrakshan Kosh).

**Credit of the  
proceeds of the cess  
or fee to specially  
created funds**

4. (1) The proceeds of the cess or the fee shall be applied respectively to the specially created funds as detailed in the foregoing provisions.
- (2) The amount in the credit of the above funds shall be at the discretion of the State Government and it shall be utilized for the purpose for which it is levied and realized;
- (3) If any question arises as to whether a purpose for which the fund is being utilized is a purpose falling under Section 3 or Section 4 or Section 5, the decision of the State Government thereon shall be final and conclusive.
- (4) The person responsible for the payment of the Cess, shall deposit the amount of cess due from him in such manner as may be prescribed.

**Mutatis-mutandis  
application of  
different acts**

5. (1) Subject to other provisions of this Act and the rules made thereunder, the authorities for the time being empowered to assess, reassess, collect and enforce payment of any tax under the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, shall assess, reassess, collect and enforce payment of cess, including any

interest or penalty payable by a dealer or person, as if the cess or penalty or interest payable by such dealer or a person under this Act is a tax or penalty or interest payable by such dealer or a person under the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 and for this purpose they may exercise all or any of the powers they have under the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 and the rules framed thereunder and the provisions of such law, including the provisions relating to the returns, provisional assessment, assessment, reassessment, rectification, review, advance payment of tax, registration, imposition of the tax liability, recovery of tax from third parties, appeals, reviews, revisions, rectifications, references, refunds, rebates, interest or penalty, charging or payment of interest, compounding of offences, shall mutatis-mutandis apply.

(2) The provisions of Forest Rules relating to the issuance of Abhivahan Pass for movement of Timber shall be deemed to be part of this Act and the requirements of such Abhivahan Pass to be accompanied with Timber before their movement, shall be deemed to be mandatory requirement for the purposes of this Act.

**Powers of  
commissioner**

6. (1) The Commissioner shall have jurisdiction over whole of the State and shall exercise all the powers conferred, and perform all the duties imposed upon him by or under the Act or Rules made thereunder;

(2) Consistent with the provisions of the Act and the Rules made thereunder, the Commissioner shall have superintendence over all officers and persons employed in the execution of the Act and the Rules, and the Commissioner may from time to time issue such orders, instructions and directions as he may deem fit for the proper administration of the Act and for regulating the procedure to be followed in carrying out the provisions of the Act and the rules:

*Provided that no such instructions or directions shall be given so as to interfere with the discretion of the Appellate Authority in the exercise of his appellate functions.*

(3) The Commissioner shall have all the powers exercisable by his subordinate authorities other than the appellate authorities.

(4) Subject to such restrictions and conditions as may be specified by the Government from time to time, the Commissioner may, by order in writing, delegate any of his powers and functions under the Act and the Rules made thereunder, to any officer subordinate to him.

**Inspection of  
accounts, search  
and seizures**

7. (1) With a view to prevent or check avoidance or evasion of cess or attempt of evasion of cess, the provisions of chapter-VI of Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 regarding Inspection of Accounts, Search and Seizures shall mutatis-mutandis apply.

**Sale invoice**

8. In case of sale or purchase of goods, the amount of cess charged shall be shown separately in the invoice. Other provisions of Section 60 of UK Vat Act, 2005 regarding sale invoice shall mutatis-mutandis apply.

**Powers of state  
government to  
make rules**

9. The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. However, where no rule has been framed regarding any matter, the Uttarakhand Value Added Tax Rule, 2005 shall mutatis-mutandis apply.

**Indemnity**

10. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any officer of the State Government for anything, which is done or intended to be done in good faith under this Act and rules or regulations made thereunder.

**Power to remove  
difficulties**

11. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

- Over-riding effect on other laws** 12. Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act, or rules or regulations or bye-laws made thereunder, shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in other law, enacted by the State Legislature and for the time being in force in the State of Uttarakhand.
- Bar on jurisdiction of civil courts** 13. No order passed or action taken under this Act, rules or regulation made thereunder, shall be subject to challenge except as provided in this Act and no civil court shall have jurisdiction in respect of any matter, which the Authority is empowered to decide and adjudicate upon.

**SCHEDULE-I**  
**Cess on Sale or Purchase of Goods**

[Under sub-section (1) (a) of Section 3 of The Uttarakhand Cess Act, 2015]

Sl. No.	Description of Goods	Incidence of Cess	Rate
1.	Petrol	On first sale of goods in the State after import into the State from outside the State	One Rupee per litre
2.	Diesel	On first sale of goods in the State after import into the State from outside the State	Twenty Five paise per litre

**SCHEDULE-II**  
**Cess on Sale or Purchase of Goods**

[Under sub-section (1) (b) of Section 3 of The Uttarakhand Cess Act, 2015]

Sl. No.	Description of Goods	Incidence of Cess	Rate of Cess
1.	All kinds of Liquor	At the point of sale to consumer	Two percent of the value of the goods.
2.	Khaini, Tobacco, Cigarette, Gutkha	At the point of manufacturer or at the point of first sale of goods in the State, after their import from outside the State.	Two percent of the value of the goods.

**SCHEDULE-III**  
**Cess on Carriage of Goods by Road**

[Under sub-section (1)(c) of Section 3 of The Uttarakhand Cess Act, 2015]

Sl. No.	Description of Goods	Incidence of Cess	Rate of Cess
1.	Timber and wood of all kinds and of all trees of whatever species, whether growing, cut or sawn but not including their products and firewood.	On goods being carried by road to outside the State	Rs. 50 per quintal
2.	Ready to eat foods(fast foods) sold by Pizza Outlets or Fried Chicken Outlets, Pre-packed eatables, Pre-packed Soft drinks, fruit drinks, flavoured drinks and beverages but not including pre-packed lassi, buttermilk and milk.	At the point of manufacturer or at the point of first sale of goods in the State, after their import from outside the State.	5 percent of the value of the goods.

By Order,

**JAI DEO SINGH,**  
Principal Secretary.

## कारण एवं उद्देश्य

राज्य में, राज्य व्याधि निधि, सड़क अवसंरचना विकास व पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य के लिए, राजस्व अर्जित करने हेतु उपकर(Cess) लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत पेट्रोल पर रू0 1.00 प्रति लीटर व डीजल पर 25 पैसे उपकर लगाया जायेगा जिसका उपयोग सड़क अवसंरचना विकास के लिए होगा। सभी प्रकार की शराब पर उपभोक्ता बिन्दु पर माल के मूल्य का 2 प्रतिशत तथा खैनी, सिगरेट, तम्बाकू व गुटका में विनिर्माता या राज्य के बाहर से आयात किए जाने पर प्रथम बिक्री पर 2 प्रतिशत उपकर लगाने पर राज्य व्याधि निधि के लिए सभी प्रकार की इमारती लकड़ी व काष्ठ पर रू0 50 प्रति क्विंटल, तैयार खाने जैसे पिज्जा, फ्राईड चिकन, प्री-पैकड फ्रूट ड्रिंक्स आदि पर माल के मूल्य का 5 प्रतिशत, पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य के लिए प्रस्तावित है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह इसके भिन्न-भिन्न प्राविधानों को लागू करने के लिए भिन्न-भिन्न तिथि नियत कर सके।

इस हेतु एक नया अधिनियम "उत्तराखण्ड उपकर विधेयक, 2015" प्रख्यापित किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है। अतः "उत्तराखण्ड उपकर विधेयक, 2015" का आलेख सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।

डा० इन्दिरा हृदयेश  
वित्तमंत्री